भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2117

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

2117. श्री खगेन मुर्मुः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि (सी॰आर॰एफ॰) के अंतर्गत सड़कें निर्मित करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सी॰आर॰एफ॰ के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से सी॰आर॰एफ॰ के अंतर्गत प्राप्त कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सी॰आर॰एफ॰ के अंतर्गत निधि की निगरानी और त्वरित कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): जी , हां।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीआरएफ के तहत निर्मित राज्यीय सड़कों (गैर-ग्रामीण) का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लिए सीआरएफ के तहत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ): सीआरएफ के तहत संस्वीकृत कार्यों का निष्पादन सीधे ही राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) के आधार पर कार्यों की प्रगति की निगरानी करता है और उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर निधियां जारी करता है।

'सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण' के संबंध में श्री खगेन मुर्मु और डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा पूछे गए दिनांक 04.07.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2117 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआरएफ स्कीमों के तहत निर्मित राज्यीय सड़कों (गैर- ग्रामीण) का राज्यवार ब्यौरा

(लंबाई किमी में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सीआरएफ स्कीम के तहत निर्मित सड़कों की लंबाई		
		2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	305.00	553.00	528
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.30	14.00	41.72
3.	असम	97.00	35.77	66.18
4.	बिहार	23.93	33.85	6.00
5.	छत्तीसगढ़	8.80	0.00	33.80
6.	गुजरात	111.67	211.20	383.00
7.	हिमाचल प्रदेश	48.73	48.25	20.30
8.	झारखंड	37.56	53.42	39.50
9.	कर्नाटक	219.00	136.00	1571.69
10.	केरल	73.35	126.72	360.85
11.	मध्य प्रदेश	124.25	437.66	467.16
12.	मणिपुर	2.15	52.70	32.70
13.	मेघालय	19.45	16.54	0.00
14.	मिजोरम	14.92	9.00	17.80
15.	नगालैंड	62.10	38.10	14.03
16.	ओडिशा	14.47	51.21	120.99

17.	पंजाब	58.06	127.56	190.72
18.	राजस्थान	296.00	421.00	353.00
19.	सिक्किम	3.00	4.71	11.43
20.	तमिलनाडु	454.11	455.13	618.84
21.	तेलंगाना	315.00	150.00	421
22.	त्रिपुरा	0.00	9.55	23.50
23.	उत्तर प्रदेश	148.30	533.91	1403.49
24.	उत्तराखंड	32.00	54.00	30.27
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	12.00
26.	गोवा	0	0	0
27.	हरियाणा	54.86	35.34	61.00
28.	जम्मू और कश्मीर	34.75	38.35	355.56
29.	महाराष्ट्र	1696.87	516.92	537.82
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	8.00
31.	चंडीगढ़	0	0	0
32.	दादर और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुच्चेरी	3.75	0	0

*****